

आवश्यक/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त,  
मेरठ मण्डल,  
मेरठ।

सेवा में,

- 1-उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 2-उपाध्यक्ष, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत।
- 3-उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 4-उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़।
- 5-उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 6-उपाध्यक्ष, खुर्जा विकास प्राधिकरण (खुर्जा), बुलन्दशहर।

संख्या-296 /28- /2023-25

दिनांक:-04 जनवरी, 2024

विषय:- पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा अन्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य कर अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र संख्या-166/11-6-2023-एम(23)/2022 दिनांक 29-11-2023 (छाया प्रति संलग्न), जो आपको भी सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर अन्य व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा अन्य किसी निर्माण सम्बन्धी अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व सिनेमा स्वामी अथवा आवास विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेशानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा अन्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(शमशाद हुसैन)

अपर आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,

राज्य कर,  
उ०प्र० लखनऊ।

2- उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

3- अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

4- जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी

समस्त विनियत क्षेत्र, उ०प्र०।

राज्य कर अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 2023

विषय: पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा अन्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- फाइल नं०-8-3099/269/2023-3- दिनांक 22.11.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र सीमान्तर्गत स्थित पुराने सिनेमागृहों को तोड़कर उसके स्थान पर अन्य निर्माण हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से शासन स्तर से अनुमति प्राप्त किये जाने संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 28.08.1998 में संशोधन करते हुए निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

- (1) पुराने सिनेमा को तोड़कर उसके स्थान पर अन्य निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अभिकरण द्वारा राज्य कर विभाग के सक्षम अधिकारी से सिनेमा के संबंध में अदेयता एवं अनापत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।
- (2) राज्य कर विभाग से अदेयता एवं अनापत्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नगर की प्रभावी महायोजना में प्रश्नगत सिनेमा के स्थल के भू-उपयोग के अनुसार अनुमन्य निर्माण की अनुमति प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार संबंधित अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाए।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर अन्य व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा अन्य किसी निर्माण सम्बंधी अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व सिनेमा स्वामी अथवा आवास विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर राज्य कर विभाग उ०प्र० शासन की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के सम्बंध में शासनादेश संख्या-184/11-6-2022-एम(23)/22 दिनांक 23.11.2022 निर्गत किया गया था। उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 23.11.2022 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

द्वारा जारी संशोधित शासनादेश संख्या- फाइल नं0-8-3099 / 269 / 2023-3- दिनांक 22.11.2023 के साथ पठित माना जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव।  
३

संख्या-166 (1) / 11-6-2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (2) आयुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
- (3) प्रभारी, आई0टी0 प्रकोष्ठ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को शासनादेश की वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- (4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

।  
(गौरव वर्मा)  
विशेष सचिव